FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सुधा देवी बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा वाद पत्र घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती नं. 9/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.01.2021	रिपोर्ट सरिश्ता होकर वादपत्र पेश हुई। वकील वादी उप0। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 08.02.2021 को पेश हो।	
08.02.21	पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामिल अनु0। अतः प्रतिवादी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वास्ते साक्ष्य दिनांक 09.02.2021 को पेश हो।	
09.02.21	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप0। वकील वादी ने बतौर साक्ष्य वादीया का शपथ पत्र व बतौर गवाह अनिल शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.02.21 को पेश हो।	
22/2/2021	पत्रावली आज वा[illegible] निर्णय/आदेश [illegible] हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में [illegible] जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीया का सही नाम सुधा देवी है। परन्तु विरासत का नामान्तरण करते समय सहवन से राधा अंकित कर दिया। वादीया ने	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

वाद पत्र के समर्थन में पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सुधा देवी अंकित है। वादीया का कथन कि वादीया का सही नाम सुधा देवी की पुष्टि पहचान पत्र, आधार कार्ड से होती है। वादीया के भाई अनिल कुमार के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चला स्थित भूमि खाता संख्या 243 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **<u>राधा पुत्री रामेश्वर</u>** के स्थान पर **<u>सुधा देवी पुत्री रामेश्वर</u>** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

कुमार)
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:16 IST
Reason: SelfAttested